संख्या-12/2026/001-358-81-7-2026

प्रेषक,

चिरौंजी लाल,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय,
उ०प्र०, लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7 **लखनऊः दिनांकः 17 जुलाई, 2026**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2026-27 में उ०प्र० कार्बन कैप्चर, उपयोग एवं भण्डारण (CCUS) योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-61/पर्या/शिक्षा प्रशि०/विस्तार/2026-27, दिनांक 06 मई, 2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में स्थित विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करते हुए सतत् औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु "उत्तर प्रदेश कार्बन कैप्चर, उपयोग एवं भण्डारण (CCUS) योजना" के अन्तर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-45 के लेखाशीर्षक—"3435-परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण-03-पर्यावरणीय अनुसंधान तथा परिस्थितिक पुनरूद्भवन-003-पर्यावरणीय शिक्षा/प्रशिक्षण/विस्तार-06-उत्तर प्रदेश कार्बन कैप्चर उपयोग एवं भण्डारण योजना-42 अन्य व्यय" में प्राविधानित बजट व्यवस्था के सापेक्ष **रु० 50.00 लाख (रुपये पचास लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2- स्वीकृत धनराशि का व्यय निम्नलिखित कार्यों हेतु किया जायेगा—

1. उद्योगों, नियामकों, स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थाओं और वित्तीय संस्थाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम/कार्यशालाएं और परामर्श आयोजित करना।
2. सभी हितधारकों के लिए CCUS को सरल और स्पष्ट बनाने हेतु संचार टूलकिट, पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन (EIA) दिशा-निर्देश, सुरक्षा दिशा-निर्देश और सूचनात्मक सामग्री इत्यादि विकसित करना।
3. पायलट एवं प्रारंभिक (Early-mover) परियोजनाओं के सुचारू कियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार, उद्योग, DST, तकनीकी विश्वविद्यालयों और अन्तर्राष्ट्रीय औद्योगिक संगठनों के बीच सहभागिता को प्रोत्साहित करना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. राष्ट्रीय दिशा-निर्देश जारी होने के पश्चात् उनके अनुरूप पर्यावरणीय अनुपालन नियमों तथा CO_2 प्रबंधन एवं हैंडलिंग प्रोटोकॉल से सम्बन्धित संस्थागत समझ विकसित करना।

5. MSME विभाग और IIDD को अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों (जैसे विश्व बैंक, UNIDO आदि) तथा तकनीकी संस्थाओं के साथ साझेदारी करने में सहयोग प्रदान करना, ताकि प्रशिक्षण माड्यूल विकसित किए जा सकें और प्रौद्योगिकी मूल्यांकन को समर्थन मिल सके।

<u>नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों</u>

1- वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार, जो सरकारी कर्मचारी / अधिकारी धन को आहरित करेगा, वहीं उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिये भी संबंधित सरकारी कर्मचारी / अधिकारी जिम्मेदार होगा।

2- प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

3- यह भी सुनिश्चित किया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

4- बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय, उ०प्र० का होगा।

5- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसकी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

6- यह सुनिश्चित किया जाय प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8- इसके अतिरिक्त स्वीकृत धनराशि व्यय करते समय निदेशक, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों / शासनादेशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

9- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति निदेशक, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-61/पर्या/शिक्षा प्रशि०/विस्तार/2026-27, दिनांक 06 मई, 2026 में उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर निर्गत की जा रही है। अतः किसी भी प्रकार की आंकिक त्रुटि हेतु निदेशक, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय, उ०प्र० उत्तरदायी होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

10- प्रश्नगत धनराशि संबंधी मदों, विषयों, नियमों इत्यादि की पुष्टता का दायित्व निदेशक, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय, उ०प्र० का होगा तथा इसे सुनिश्चित भी किया जाय।

11- निदेशक, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि निर्गत की गई उक्त धनराशि के संबंध में समयान्तर्गत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए समय-समय पर उक्त के संबंध में सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाये।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 50,00,000 (रूपये पचास लाख मात्र) का चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 045 **लेखा शीर्षक** 3435030030600 उत्तर प्रदेश कार्बन कैप्चर, उपयोग एवं भण्डारण योजना **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/ बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनाँक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

चिरौंजी लाल
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेन्ट प्रोजेक्ट अथॉरिटी, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- स्टेट स्कीम मैनेजर (श्रीमती नीरजा सक्सेना, विशेष सचिव), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु०-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शैलेन्द्र कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in